कार्यालय चुनाव अधिकारी
गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब
नानकमत्ता, जिला उधमसिंह नगर

आदेश

संख्याः 04 दिनांक 12.10.2016

अधिसूचना संख्या 1 दिनांकित 27 सितम्बर 2016 के अनुक्रम में निम्नलिखित निर्देश व स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं:—

1. अधिसूचना संख्या 1 दिनांकित 27 सितम्बर 2016 के साथ जारी **अनुलग्नक संख्या सी** के जरिए किसी भी गुरूद्वारे के डेलीगेट बनने हेतु योग्यताएं दी गई हैं। जो व्यक्ति यह योग्यताएं रखता हो, वही व्यक्ति डेलीगेट बन सकता है तथा बाद में चुनाव के जरिए गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी का सदस्य भी बन सकता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी एक हल्के में 20 गुरूद्वारे हैं, जिन्होने स्वयं को गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के साथ सम्बन्ध किया है, उन गुरूद्वारों में एक डेलीगेट का चुनाव होगा। उस हल्के में 20 डेलीगेट निर्वाचित होंगे जो कि चुनाव के जरिए एक डेलीगेट को गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी के सदस्य के लिए निर्वाचित करेंगे। इसलिए गुरूद्वारे के डेलीगेट बनने हेतु तथा उसके उपरान्त गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी के सदस्य बनने हेतु **अनुलग्नक सी** की शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है और उम्मीदवार, चाहे वह डेलीगेट का चुनाव लड़े या डेलीगेट बनने पर प्रबन्धक कमेटी के सदस्य का चुनाव लड़े, उसकी योग्यता **अनुलग्नक सी** के अनुसार होनी चाहिए।

2. **अनुलग्नक डी** में जो योग्यताएं मतदाता/ वोटर के लिए दी गई हैं, वह डेलीगेट के चुनाव के सम्बन्ध में हैं और ना कि गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी के सदस्य के चुनाव हेतु। डेलीगेट के चुनाव के लिए जो मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उनकी योग्यताएं **अनुलग्नक डी** के अनुसार होनी चाहिए। गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी के सदस्य के चुनाव के लिए जो मतदाता होंगे, वह सभी पहले डेलीगेट बने होंगे और उसके बाद प्रबन्धक कमेटी के सदस्य के चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। अतः गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता (डेलीगेट) की योग्यताएं **अनुलग्नक सी** के अनुसार होंगी। डेलीगेट के चुनाव के लिए मतदाता की योग्यताएं **अनुलग्नक डी** के अनुसार होंगी।

3. डेलीगेट का चुनाव उस गुरूद्वारे में ही होगा, जिस गुरूद्वारा से वह डेलीगेट बनना चाहता है। डेलीगेट के चुनाव के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होने पर नियमित रूप से चुनाव करवाए जायेंगे, जो कि निष्पक्ष होने चाहिए। डेलीगेट के चुनाव के लिए **अनुलग्नक ई** (आचार संहिता) में क्रमांक 18, 19, 20, 21 में निर्देश पहले से ही दिए गये हैं। **अनुलग्नक ई** में जो निर्देश निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए दिये गये हैं, वह सभी निर्देश डेलीगेट के चुनाव के लिए भी यथासम्भव अमल में लाये जा सकते हैं।

4. यदि किसी गुरूद्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाला पोस्टल आर्डर (रू0 10/–) उपलब्ध न हो तो रजिस्ट्रेशन फार्म जमा कराते समय 10 रूपये की रसीद गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के प्रबन्धक कार्यालय में से कटवायी जा सकती है। रसीद का नम्बर व तारीख पोस्टल आर्डर के नम्बर व तारीख के स्थान पर लिखी जा सकती है।

5. डेलीगेट के चुनाव सम्पन्न होने पर सम्बन्धित गुरूद्वारे के प्रधान या सचिव द्वारा निर्वाचित डेलीगेट के पक्ष में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और मूल घोषणा पत्र गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में स्थित चुनाव अधिकारी के कार्यालय में 05 दिसम्बर 2016 तक जमा कराया जाएगा।

6. गुरूद्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म 26 अक्टूबर 2016 तक गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में चुनाव अधिकारी के कार्यालय में सीधे जमा कराया जाएगा। यह फॉर्म यदि किसी अन्य स्थान पर जमा कराया जाता है तो ऐसे में उक्त फॉर्म योग्य नहीं माना जाएगा।

12.10.2016

(कंवर अमनिन्दर सिंह)

चुनाव अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचना व आवश्यक कार्यवाहीः–

1. जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंह नगर

2. प्रबन्धक गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश की सूचना सभी सम्बन्धित व्यक्तियों/ गुरूद्वारों को उपलब्ध करवाएं, जिससे कि किसी प्रकार का भ्रम ना हो। इस आदेश की प्रति मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा दैनिक जाग़रण व अमर उजाला के सम्बन्धित संस्करणों में मुख्यतः रूप से प्रकाशित करवाएं जिससे सम्बन्धित जन साधारण को सूचना प्राप्त हो सके।

12.10.16.

चुनाव अधिकारी